

The Chhattisgarh Adhivakta Kalyan Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018 Act 9 of 2018

Keyword(s): Adhivakta, Kalyan Nidhi

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 136]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 7 अप्रैल 2018 — चैत्र 17, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2018

क्रमांक 3485/डी. 63/21-अ/प्रारू./छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 03-04-2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 9 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2018

छत्तीसगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्र. 9 सन् 1982) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम तथा 1. प्रारंभ.
- (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा.
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- धारा 18 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्र. 9 सन् 1982) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 18 में, शब्द "दस रुपये एवं पच्चीस रुपये" के स्थान पर, शब्द "पच्चीस रुपये एवं पञ्चास रुपये" प्रविस्थानित किया उसमे
- धारा 19 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 19 में, -
 - (एक) उप-धारा (1) में, शब्द "दस रुपये" के स्थान पर, शब्द "पच्चीस रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये; और
 - (दो) उप-धारा (2) में, शब्द "पच्चीस रुपये" के स्थान पर, शब्द "पचास रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये.

नया रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2018

क्रमांक 3485/डी. 63/21-अ/प्रारू./छ. ग./18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7-4-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 9 of 2018)

THE CHHATTISGARH ADHIVAKTA KALYAN NIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2018

An Act further to amend the Chhattisgarh Adhivakta Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 9 of 1982).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

Short title and commencement. 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Adhivakta Kalyan Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018. (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. Amendment of Section 18 of the Chhattisgarh Adhivakta Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 9 of 1982), (hereinafter referred to as the Principal Act), for the words "Ten Rupees and Twenty Five Rupees", the words "Twenty-five Rupees and

Fifty Rupees" shall be substituted.

- Amendment of 3. In Section 19 of the Principal Act,-Section 19.
 - (i) in sub-section (1), for the words "Ten Rupees", the words "Twenty-five Rupees" shall be substituted; and
 - (ii) in sub-section (2), for the words "Twenty-five Rupees", the words "Fifty Rupees" shall be substituted.